मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ 1–16/2009/20-1 भोपाल, दिनांक 25/5/11

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
6. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषयः– अध्यापक संवर्ग को अंशदायी पेंशन योजना में सम्मिलित करने के संबंध में।

—0—

राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि म.प्र. पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 तथा म.प्र. नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 के अधीन कार्यरत अध्यापक संवर्ग को अंशदायी पेंशन योजना निम्नलिखित अनुसार लागू की जाए :–

1. अध्यापक संवर्ग के लिए अंशदायी पेंशन योजना का क्रियान्वयन विस्तृत निर्देश जारी करने के उपरांत दिनांक 01.04.2011 से यह योजना शासकीय शालाओं में नियुक्त सभी अध्यापकों (वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक) के लिए अनिवार्य होगी।
2. इस योजना को लागू करने के संबंध में स्थानीय संस्था यथा पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा इस संबंध में पृथक से भी विर्निदिष्ट किया जायेगा, इस विनिर्दिष्टिकरण आदेश में संबंधित निकाय समानुपातिक अंशदान की कटौत्री अनुदान मद से करने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण/आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को अधिकृत करेगें।
3. इस योजना के अंतर्गत मूल वेतन + मंहगाई भत्ते की 10 प्रतिशत राशि कर्मचारी के मासिक अंशदान के रूप में वेतन देयक से सीधे काटी जायेगी। रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णाकिंत किया जायेगा।
4. अध्यापक संवर्ग की सेवा में उपस्थित होते ही निर्धारित पंजीयन प्रपत्र में स्वयं से संबंधित जानकारी/विवरण यथा नाम, वेतनमान, जन्मतिथि, नामांकन तथा नामांकित व्यक्ति के संबंध में जानकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी /संकुल प्राचार्य को उपलब्ध कराएगा।

5. संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्देश के अनुसार संबंधित अध्यापक से पंजीयन एवं अन्य संबंधित जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करेगा।
6. संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का यह दायित्व भी होगा कि वह अंशदायी पेंशन योजना से संबंधित समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करायेगा।
7. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा यथा स्थिति जिले की जानकारी को एकजाई कर प्रत्येक माह की 15 तारीख के पहले निर्धारित समिति/एंजेंसी को यह जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।
8. अध्यापक संवर्ग के अंशदान की गणना में कटोत्रा हेतु महगाई भत्ते के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते/विशेष वेतन आदि को शामिल नही किया जायेगा।
9. उपरोक्तानुसार अंशदान की राशि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के वेतन से काटी जायेगी। इस काटी गई राशि को नियोक्ता अंशदान के साथ आहरण आयुक्त लोक शिक्षण/ आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा किया जाकर, इस बाबत खोले गये पृथक बैंक खाते में रखा जाएगा।
10. इस योजना के अंतर्गत विस्तृत अभिलेखों के रख–रखाव का कार्य एन.एस.डी.एल (National Securities Depository Limited) द्वारा किया जायेगा।
11. अध्यापक के स्थानांतरण/संविलियन आदि की स्थिति में नये खाते आंवटन की आवश्यकता नहीं होगी एवं पूर्व में खोला गया खाता निरंतर रहेगा।
12. अध्यापक संवर्ग की असामयिक मृत्यु, सेवा से पृथक किये जाने की स्थिति में अथवा त्यागपत्र देने की स्थिति में अंतिम भुगतान की कार्यवाही से संबंधी प्रक्रिया पृथक से निर्धारित की जायेगी।
13. जमा राशि पर योजना के प्रावधान के अनुरूप फण्ड मैनेजरों द्वारा निवेश किये जाने पर प्रतिफल प्राप्त होगा। इस राशि पर शासन द्वारा कोई ब्याज अथवा अन्य भुगतान देय नहीं होगा।
14. इस योजना में सम्मिलित सभी कर्मचारियों को N.S.D.L. द्वारा ऑनलाईन सुविधा के माध्यम से वार्षिक लेखा की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।

15.अध्यापक संवर्ग के लिए प्रस्तावित अंशदायी पेंशन योजना के लेखों के रख–रखाव हेतु N.S.D.L. के साथ किये जाने वाले अनुबंध के अनुसार N.S.D.L. को खाता संधारण का वार्षिक शुल्क तथा प्रति अंतरण शुल्क का भुगतान भी किया जायेगा। यह व्यय भार प्रत्येक वर्ष के अंत में कर्मचारी के खाते के NAV (नेट एसेट वेल्यू) के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

16.अध्यापक संवर्ग के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू करने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण तथा आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को नोडल कार्यालय बनाते हुए योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

( के.आर. उपाध्याय )
अवर सचिव
म.प्र शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठां क्रमांक/एफ 1–16/2009/20/
प्रतिलिपिः–

भोपाल, दिनांक 25/5/2011

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी, म.प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, मान. मंत्रीजी जी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा, मंत्रालय भोपाल।
3. निज सहायक, मान. राज्यमंत्रीजी जी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा, मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
8. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल।
9. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।
10. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
11. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
12. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

अवर सचिव
म.प्र शासन